भारत सरकार

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय

कृषि एवं किसान कल्याण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 348

4 फरवरी, 2025 को उत्तरार्थ

विषय: पीएम-किसान सम्मान निधि योजना के तहत निधि के वितरण में पारदर्शिता

348. श्री अरुण भारतीः

क्या **कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) पीएम-किसान सम्मान निधि योजना के तहत लाभार्थी की पहचान को आसान बनाने और निधि वितरण में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए प्रौद्योगिकी उपयोग से किस प्रकार लाभ उठाया है;

(ख) पीएम-किसान योजना को फसल बीमा या मृदा स्वास्थ्य पहल जैसी अन्य कल्याणकारी योजनाओं के साथ एकीकृत करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं, जिससे किसान कल्याण पर उक्त योजना का समग्र प्रभाव बढ़ सके;

(ग) उक्त योजना से रैयत किसानों या औपचारिक भूमि रिकॉर्ड से विहीन के समक्ष आने वाली चुनौतियों का समाधान किस प्रकार हुआ है;

(घ) उक्त योजना ने विशेष रूप से कृषि इनपुट या मूलभूत आवश्यकताओं में निवेश के मामले में ग्रामीण उपभोग पैटर्न को किस प्रकार प्रभावित किया है; और

(ङ) उक्त योजना की पहुंच और दक्षता में सुधार करने के लिए लाभार्थियों के फीडबैक को शामिल करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री (श्री रामनाथ ठाकुर)

(क) से (ग): पीएम-किसान योजना एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है जिसे माननीय प्रधानमंत्री जी ने फरवरी 2019 में भूमि-धारक किसानों की वित्तीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए शुरू किया था। इस योजना के तहत, किसानों के आधार से जुड़े बैंक खातों में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) मोड के माध्यम से तीन समान किस्तों में प्रति वर्ष 6,000 रुपये का वित्तीय लाभ अंतरित किया जाता है।

किसान-केंद्रित डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर यह सुनिश्चित करता है कि इस योजना का लाभ बिना किसी बिचौलिए की भागीदारी के देश भर के सभी किसानों तक पहुंचे। इस योजना के तहत लाभार्थी डेटा को डिजिटल सार्वजनिक इंफ्रास्ट्रक्चर और उन्नत सत्यापन तंत्र का लाभ उठाकर सत्यापित किया जाता है। आधार प्रमाणीकरण, लाभार्थियों की पहचान स्थापित करने

के लिए एक महत्वपूर्ण उपकरण के रूप में कार्य करता है, जबकि आयकर रिकॉर्ड और सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (पीएफएमएस) के साथ क्रॉस-सत्यापन पात्रता मानदंडों का अनुपालन सुनिश्चित करता है। इसके अलावा, यह सुनिश्चित करने के लिए कि लाभ केवल पात्र लाभार्थियों को ही प्रदान किए जाएं, इस योजना के तहत भूमि रिकॉर्ड सीडिंग, बैंक खातों के साथ आधार सीडिंग और ई-केवाईसी को अनिवार्य कर दिया गया है। डिजिटल सत्यापन के अलावा, सभी राज्य और संघ राज्य क्षेत्र इस योजना के तहत निर्धारित पात्रता शर्तों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए गहन वास्तविक सत्यापन अभियान चलाते हैं। यह व्यापक दृष्टिकोण लाभ के वितरण में पारदर्शिता, सटीकता और दक्षता सुनिश्चित करने के लिए प्रौद्योगिकी प्रगति को मैन्युअल जांच के साथ जोड़ता है।

लाभार्थियों के पंजीकरण और सत्यापन में पूर्ण पारदर्शिता बनाए रखते हुए, भारत सरकार ने योजना की शुरुआत से अब तक 18 किस्तों में 3.46 लाख करोड़ रुपये से अधिक की राशि वितरित की है। पीएम-किसान योजना केवल खेती योग्य भूमि वाले किसानों के लिए लागू है।

(घ): अंतर्राष्ट्रीय खाद्य नीति अनुसंधान संस्थान (आईएफपीआरआई) द्वारा वर्ष 2019 में एक स्वतंत्र अध्ययन किया गया। इस अध्ययन के अनुसार, पीएम-किसान के तहत वितरित फंड ने ग्रामीण आर्थिक विकास में उत्प्रेरक (केटेलिस्ट) के रूप में काम किया है, किसानों की ऋण बाधाओं को कम करने में मदद की है और कृषि इनपुट में निवेश बढ़ाया है। इसके अलावा, इस योजना से किसानों की जोखिम उठाने की क्षमता भी बढ़ी है, इससे उन्हें जोखिमपूर्ण लेकिन तुलनात्मक रूप से उत्पादक निवेश करने के लिए प्रेरित किया जाता है। पीएम-किसान के तहत प्राप्तकर्ताओं को मिलने वाला फंड न केवल उनकी कृषि जरूरतों को पूरा करने में मदद कर रहे हैं, बल्कि यह उनकी शिक्षा, चिकित्सा, विवाह आदि जैसे अन्य खर्चों को भी पूरा कर रहे हैं। ये देश के किसानों पर इस योजना के सकारात्मक प्रभाव के संकेतक हैं। पीएम किसान योजना वास्तव में हमारे देश के कृषक समुदाय के लिए एक बड़ा परिवर्तनकारी कदम साबित हुई है।

(ङ.): सरकार निरंतर सुधार और योजना की प्रभावशीलता सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। विभिन्न पहलों के तहत, एक व्यापक फीडबैक तंत्र कार्यान्वित किया गया है। इस संबंध में, किसान कॉल सेंटर (केसीसी) की सेवाओं का उपयोग राष्ट्रव्यापी टेलीफोन सर्वेक्षणों के माध्यम से योजना के बारे में फीडबैक एकत्र करने के लिए भी किया जाता है। इन सर्वेक्षणों के निष्कर्षों से विभाग को योजना के कार्यान्वयन को और बेहतर बनाने में मदद मिलती है।

*****